F

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में, आई० डी० सं० - 15/25-26 कम्प्यूटरीकृत आवक

पंजीयन संख्या 3939562

पंजीयन सं० 09.04.2025

लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग/कार्यालय)

पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना

1. आवेदक का नाम अरविन्द कुमार
2. पूरा पता 308, हरिचरण रेसीडेन्सी, नन्दनपुरी कालोनी पटना 14

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

मेरा पत्रांक शून्य दिनांक 19-12-2024, जो अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग को संबोधित है तथा दिनांक 19-12-2024 को ही विभाग में प्राप्त कराया गया है। मेरे पत्र पर की गई विधिवत कार्रवाई की प्रति उपलब्ध कराना चाहेंगे। साथ ही संचिका में टिप्पणी भाग का प्रति उपलब्ध कराना चाहेंगे।

7/0 आ० पु०अ० 09/04/25

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने .... रुपये (शब्दों में) .... तिथि .... को रसीद सं० .... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं ~~डिमान्ड ड्राफ्ट~~/भुगतानादेश सं० (पोस्टल ऑर्डर) 567997 दिनांक 20/2/24 जो लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में (पथ निर्माण विभाग) ~~बैंक~~ द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने .... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (सबद्ध कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

308, हरिचरण रेसीडेन्सी

नन्दनपुरी कालोनी

पटना 800014

(हस्ताक्षर) 04/04/2025

आवेदक का हस्ताक्षर

ई-मेल पता, अगर कोई हो;

दूरभाष संख्या

स्थान : पटना तिथि : 04/04/2025

नोट :-गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।

जो लागू नहीं है उसे काट दें।

प्रपत्र 'ज'

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्याः–**लो.सू.को. / आई०डी०सं०–15 / 25–26** पटना, दिनांक–15/4/25

2334(E)

प्रेषकः

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13 / 14,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री अरविन्द कुमार का सूचना आवेदन दिनांक–04.04.2025 जो इस विभाग में दिनांक–09.04.2025 को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–15 / 25–26)** इसके साथ संलग्न किया जाता है :–

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा–**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र–'क' को आपके क्षेत्राधिकार / प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा–**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र–'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के आलोक में वांछित सूचना **दो सेट में** अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक–2334(E) दिनांक–15/4/25

प्रतिलिपिः **उप सचिव (निगरानी), प्रभारी प्रशाखा–13 / 14,** पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०........
....
दिनांक–..........

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या–निग/सारा–04(पथ) सूचना–23/2025 पटना, दिनांक 09/05/25

2951 (E)

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी–14
–सह–सहायक लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत आवेदक श्री अरविन्द कुमार द्वारा माँगी गयी सूचना के संबंध में (आई0डी0सं0–15/25–26)।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–लो0सू0को0/आई0डी0सं0–15/25–26–2334 (ई०) अनु० दिनांक–15.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आवेदक श्री अरविन्द कुमार का सूचना आवेदन दिनांक–04.04.2025 (आई0डी0सं0–15/25–26) के द्वारा याचित सूचना निम्नवत् है :–

याचित सूचना	सूचना का विवरण
1. मेरा पत्रांक–शून्य दिनांक–19.12.2024 जो अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग को संबोधित है तथा दिनांक–19.12.2024 को ही विभाग में प्राप्त कराया गया है, मेरे पत्र पर की गई अद्यतन कार्रवाई की प्रति उपलब्ध कराना चाहेंगे। साथ ही संबंधित संचिका की टिप्पणी भाग की प्रति उपलब्ध कराना चाहेगें।	1. श्री कुमार द्वारा याचित सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के नियम–8 (1) (ज) के अतंर्गत देय नहीं है।

विश्वासभाजन

09.05.25

प्रशाखा पदाधिकारी–14
–सह–सहायक लोक सूचना पदाधिकारी

884
लो०सू०को०
13/05/25

(3851) ओम्
13.05.25

2/5
Kamal
(14.05.2025)

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः—**लो.सू.को./आई०डी०सं०—15/25—26** **पटना, दिनांक**—14/5/25

3013(E)/ws

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार,
फ्लैट नं०—308, हरिचरण रेसीडेन्सी,
नन्दनपुरी खाजपुरा,
पटना—800014

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक—04.04.2025 जो इस विभाग में दिनांक—09.04.2025, को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०—15/25—26)** में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :—

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14 (निगरानी)**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—2951 (E) दिनांक—09.05.2025 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Kumar 14/5/25

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक—3013(E) पटना, दिनांक—14/5/25

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14 (निगरानी) पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar 14/5/25

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०........
....
दिनांक-........